न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 110 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
जगाराम पुत्र जोधाराम जाति मेगवाल निवासी आसुओं की ढाणी सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर	1. चतरू पुत्री खेताराम पत्नी गुलाराम जाति मेगवाल निवासी आसुओं की ढाणी सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर 2. इमियों पुत्री खेताराम पत्नी सुखराम कायम मुकाम 2/1रिणछाराम पुत्र सुखराम 2/2दिनेश पुत्र सुखराम मेगवाल निवासी डाबड़ तहसील गुड़ामालानी 2/3श्रीमती सकू पत्नी भंवराजी मेगवाल निवासी राणासर 2/4श्रीमती सुआ पत्नी अमराजी जाति मेगवाल निवासी धानेरा 2/5श्रीमती मोरबो पत्नी ओमाराम मेगवाल निवासी मोखावा 2/6ओमी पत्नी मिसराजी मेगवाल निवासी डींडावा त0 बाखासर 3. तहसीलदार बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 164 / 2015 बअनवान चतरूदेवी बनाम रूपादेवी वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.5.2016 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री जसवंत बोहरा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नृसिंह सोलंकी रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।
3. वकील श्री गणपत गुप्ता रेस्पोडेंट 02 के कायम मुकाम की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—06.12.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादीनी प्रतिवादी संख्या 02 की सगी बहिन है, जो स्वर्गीय खेता के वारिसान है एवं विधिक उतराधिकारी है वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

01 से 03 के संयुक्त व पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा आसुओं की ढाणी में खसरा संख्या 313, 341, 487/342, 508/342 के आये हुए है। वक्त सेटलमेंट के पूर्व वादीनी के पिता खेता के कब्जे काश्त की होने से खेता व उनके भाईयों के नाम पर्चा लगान जारी कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। अपीलाधीन आराजी में वादीनी के पिता खेता का 1/2 हिस्सा दर्ज था जिसमें वादीनी का 1/6 हिस्सा घोषित करने हेतु हस्तगत वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विधि का यह सुस्थापित नियम है कि वाद में सभी प्रतिवादीगण की तलबी जारी कर बाद तामीली प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर व जबाव पेश करने के बाद तनकीयात कायम की जाकर दोनों पक्षों की साक्ष्य ली जाकर स्वतंत्र निर्णय पारित करे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकियात कायम की जाकर तथा बिना साक्ष्य के निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में पारित की गई जबकि लोक अदालत में केवल सहमति के आधार पर मामला निर्णित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजा पर पदर्श भी अंकित नहीं किया गया जो पत्रावली में पढे नहीं जा सकते। वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 04 तहसीलदार बाड़मेर के जबाव में अंकित तथ्यों को आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो कि विधिनुसार न तो निर्णय की श्रेणी में आता है और न ही आदेश की श्रेणी में आता है विधि से परे जाकर जो आदेश पारित किये जाते है वह प्रारम्भत शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित खसरो का न तो मौका रिपोर्ट मंगवाई और न ही मौके पर किसका कितने रकबे पर कब्जा व काश्त है इसकी जांच करवाये बिना ही वादीनी उतरदाता संख्या 01 के वाद को निर्णय एवं डिक्री करने में कानूनन व इंसाफन भूल की है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में एकपक्षीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी पैतृक भूमि है जिसमें रेस्पोडेंट/वादीनी का जन्म से ही हक नियत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की उपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद को दर्ज किया गया। प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी किये गये। दोनों पक्षों की बाद समुचित सुनवाई अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील रेस्पोडेंटस को तंग व परेशान करने की नियत से पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील मय खर्चा खारिज फरमायी जावे।

वकील रेस्पोडेंटस संख्या 02 के कायम मुकाम ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में पारित की गई। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार किया जाकर प्रकरण को रिमाण्ड किया जाता है तो हमे कोई आपति नहीं है।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में अपीलांटस की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांटस को अर्सा 07 दिन पूर्व जब उक्त निर्णय एवं डिक्री की आड में उतरदाता संख्या 01 ने अपीलकर्ता के कब्जे काश्त में दखलदांजी करना प्रारम्भ किया तथा अपीलकर्ता को उसने बताया कि उसने दिनांक 16.05.2016 को अपने पक्ष में निर्णय करवा लिया है जिस पर अपीलकर्ता ने दिनांक 09.09.2016 को उक्त निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त करने हेतु आवदन किया जिस पर उसी दिन नकल प्राप्त होने पर अपीलकर्ता को सर्वप्रथम उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश करने में कोई जानबुझकर देरी नहीं की गई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटस के नाम अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की उपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांटस द्वारा पेश हस्तगत अपील में इस बात का कही पर भी जिक्र नहीं किया गया कि वादीनी चतरू पुत्री खेता की नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि अपीलांटस की भी मौन स्वीकृति है कि वादीनी खेता की पुत्री है। इसलिए अपीलाधीन आराजी पैतृक है। जिसमें वादीनी का जन्म से ही अधिकार है। वादीनी खेता वल्द रावता की जायन्दा संतान है और इन्हे उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। खेता वल्द रावता की पैतृक सम्पत्ति में वादीनी का जन्म से ही हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बाड़मेर द्वारा दिनांक 16.05.2016 को पेश रिपोर्ट से ही अपीलाधीन आराजी पैतृक साबित होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में दिनांक 16.05.2016 को उभयपक्ष की उपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से अपीलांटस के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ा तथा न ही अपीलांटस के हिस्से को कम ज्यादा किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन आराजी पैतृक भूमि होने से अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलाधीन निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

व डिक्री विधि सम्मत पारित की गई। मेरी सुविचारित राय में अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 164/2015 बअनवान चतरूदेवी बनाम रूपादेवी वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.5.2016 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 06.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर